प्र. सं. 93/2023 विविध अनवानी नरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट
जरिये थानाधिकारी पु. थाना हनुमानगढ़ टाउन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.2023	अभिभाषकगण उपस्थित। वाहन मालिक नरेन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी नई आबादी कंधवाला रोड़, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2023 की पालना में जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** को सुपुर्दगी में लेने हेतु 10 लाख का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का ज़मानतनामा सशर्त सहित आज दिनांक 09.11.2023 को पेश किये है। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्ते निम्नानुसार है:– 1. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक के उपस्थित होने पर ही सुपुर्दगी प्रदान की जायेगी। 2. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** को किसी अन्य को रहन बैय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नहीं करेगा। 3. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 4. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। 5. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा। 6. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर अपने हस्ताक्षरों सहित पेश करेगा। 7. वाहन की पंजीयन कॉपी व एक प्रमाणित प्रति। 8. थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा दिनांक 29.08.2023 को वजह सबूत वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** को राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जब्तशुदा की सुपुर्दगी इस प्रार्थना पत्र की हद तक रहेगी। जब्तशुदा वाहन का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को आदेश दिये जाते हैं कि एफ.आई.आर. सं. 660/2023 दिनांक 30.08.2023 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. **PB-22-J-5708** का न्यायिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जांच आदि हेतु वाहन की आवश्यकता ना हो तो उक्त जब्तशुदा वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर वाहन की पंजीयन कॉपी से मिलान होने पर ही वाहन मालिक नरेन्द्र सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी नई आबादी कंधवाला रोड़, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जाये। वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को भिजवायें। आदेशिका की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को जरिये पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (रुकमणि रियार सिहाग) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़	नरेन्द्र सिंह चरणजीत सिंह